प्रेस नोट दिनांक 16.12.2024
थाना फरीदपुर जनपद बरेली ।

थाना फरीदपुर #bareillypolice द्वारा पंजीकृत मु0अ0सं0 913/2024 धारा 140(1) बीएनएस थाना फरीदपुर जिला बरेली/लेखपाल श्री मनीष कश्यप के अपहरण के अनावरण कर दो अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

दिनांक 27.11.2024 को तहसील फरीदपुर जनपद बरेली में नियुक्त लेखपाल श्री मनीष कश्यप पुत्र स्व0 हरीशचन्द्र कश्यप निवासी मो0 कानूनगोयान कस्बा व थाना बहेडी जनपद बरेली हाल निवासी बुखारा मोड थाना कैण्ट जनपद बरेली के तहसील से घर न पहुँचने पर परिजनों द्वारा दिनांक 28.11.2024 को थाना फरीदपुर को दी गई सूचना के आधार पर तत्काल लेखपाल श्री मनीष कश्यप की गुमशुदगी दर्ज कर जाँच प्रारम्भ की गई। जाँच के दौरान दिनांक 02.12.2024 को परिजनों द्वारा व्यक्त की गई, अपराध के सन्देह के आधार पर, उपरोक्त गुमशुदगी को मु0अ0सं0 913/24 धारा 140(1) बीएनएस में तरमीम कर गहन विवेचना प्रारम्भ की गई । परिजनों के अन्य थाने से विवेचना कराये जाने के आग्रह पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली महोदय के द्वारा दिनांक 08.12.2024 को अभियोग थाना फरीदपुर से प्रभारी निरीक्षक थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली को स्थानान्तरित करते हुये अपहृत लेखपाल को बरामद करने के लिये श्रीमान पुलिस अधीक्षक अपराध के नेतृत्व में सर्विलांस व साइबर सहित 04 टीमो का गठन किया गया ।

कल दिनांक 15.12.2024 को घटना का सफल अनावरण करते हुये अभियुक्त ओमवीर उर्फ अवधेश व सम्पूर्ण अपराध में षडयन्त्रकर्ता नन्हें को गिरफ्तार करते हुये ओमवीर उर्फ अवधेश की निशानदेही पर लेखपाल मनीष कश्यप के कंकाल के अवशेष व कपडे, हत्या में प्रयोग होने वाला मफलर, लेखपाल का पर्स, रबर स्टम्प मोहर मोहर, इंक पैड, अन्य कागजात व कार नं0 यू0पी032एच0क्यू0-4859 मारूति अर्टिगा बरामद की गई है तथा बाद आवश्यक कार्यवाही लेखपाल मनीष कश्यप के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया । मु0अ0सं0 913/24 में धारा 103(1)/238/61(2)/3(5) बीएनएस की बढोत्तरी की गई है । शेष अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है ।

प्रकाश में आये अभियुक्त का विवरण-

1.ओमवीर उर्फ अवधेश पुत्र महेशपाल मूल निवासी ग्रा0 कपूरपुर थाना फरीदपुर जिला बरेली हाल निवासी ग्रा0 मिर्जापुर थाना कैण्ट जनपद बरेली उम्र 34 वर्ष ।
2.सूरज पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्रा0 बाकरगंज थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली हाल निवासी ग्रा0 वभिया थाना कैण्ट जनपद बरेली ।
3.नन्हें पुत्र सुखराम निवासी ग्रा0 नगरिया कला थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली उम्र 46 वर्ष ।
4.नेत्रपाल पुत्र मलखान निवासी ग्रा0 चुरानवदिया थाना अलीगंज जनपद बरेली ।

बरामदगीः-

1.मनीष लेखपाल के कंकाल के अवशेष व कपडे
2.हत्या मे प्रयोग होने वाला मफलर
3.लेखपाल का पर्स, रबर स्टम्प / मोहर, इंक पैड व जले व अधजले अन्य कागजात
4.कार नं0 यू0पी0 32 एच0क्यू0 4859 मारूति अर्टिगा (गाडी फाईनेंस पर थी, जिसकी 03 किस्ते बाकी है)

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.ओमवीर उर्फ अवधेश पुत्र महेशपाल मूल निवासी ग्रा0 कपूरपुर थाना फरीदपुर जिला बरेली हाल निवासी ग्रा0 मिर्जापुर थाना कैण्ट जनपद बरेली उम्र 34 वर्ष
2.नन्हें पुत्र सुखराम निवासी ग्रा0 नगरिया कला थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली उम्र 46 वर्ष

विवरण पूछताछः- अभियुक्त ओमवीर उर्फ अवधेश व नन्हें ने पूछताछ के दौरान बताया कि "लेखपाल मनीष कश्यप मेरी ही जाति का होने के कारण मेरा पूर्व से ही परिचित था, लेखपाल की तैनाती तहसील फरीदपुर में होने के कारण मैं उनका छोटा-मोटा काम कर देता था, जिसके बदले में मुझे कुछ कमीशन मिल जाता था। मेरी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। मेरे मामा के साढू नन्हेलाल पुत्र सुखराम निवासी ग्रा0 नगरिया कलां थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली व 01 अन्य रिश्तेदार सूरज पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्रा0 बाकरगंज थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली हाल निवासी ग्रा0 वभिया थाना कैण्ट जनपद बरेली तथा मेरे मामा के ससुर नेत्रपाल पुत्र मलखान निवासी ग्रा0 चुरानवदिया थाना अलीगंज

जनपद बरेली के साथ मिलकर लेखपाल मनीष कश्यप के अपहरण की योजना बनाई। दिनांक 27.11.2024 को मैने लेखपाल मनीष कश्यप को फोन पर वार्ता कर शराब पिलाने के बहाने से मिलने के लिये राजी कर लिया । योजना के अनुसार मैनें अपनी अर्टिगा कार से सूरज को साथ बैठाकर बुखारा फरीदपुर रोड रेलवे क्रासिंग पहुँचकर लेखपाल मनीष कश्यप को फोन कर जरूरी काम बताकर गाडी के पास बुला लिया थोडी देर बाद लेखपाल मनीष कश्यप हमारे पास आ गया तथा सूरज ने अपने पैसो से पास में शराब की दुकान से 04 पव्वे शराब के ले लिये उसके बाद लेखपाल हमारी गाडी में बैठकर कस्बा फरीदपुर से बाहर आकर लेखपाल मनीष ने 100 रूपये की नमकीन व अन्य सामान खरीद कर आगे चल दिया। तभी लेखपाल मनीष कश्यप के नशे में हो जाने पर सूरज ने लेखपाल मनीष कश्यप का फोन स्विच आफ कर दिया तथा योजना के मुताबिक हम बुखारा कैण्ट होते हुये सरदार जी के खाली पडे फार्म हाउस पर जहाँ नेत्रपाल नौकरी करता था, योजना के मुताबिक हमने लेखपाल को फार्म हाउस पर बंधक बनाकर रखना था, परन्तु नेत्रपाल घबरा गया तथा लेखपाल मनीष कश्यप को फार्म हाउस में रखने से मना कर दिया जिसके बाद नन्हें पुत्र सुखराम ने अब लेखपाल मनीष कश्यप को जिन्दा छोडना खतरे से खाली नहीं है, तब मैं, नेत्रपाल व सूरज तीनों ने सलाह कर लेखपाल मनीष कश्यप को दोबारा गाडी में बैठा लिया तथा बैठाकर वहाँ से चल दिये । मैं अपनी कार चला रहा था बीच की सीट पर सूरज व नेत्रपाल व लेखपाल मनीष कश्यप को बैठा लिया। योजना के मुताबिक सूरज ने अपने मफलर से मनीष कश्यप का गला कसकर/घोटकर उसकी हत्या कर दी, नशा ज्यादा होने के कारण लेखपाल मनीष कश्यप विरोध न कर सका । शव को ठिकाने लगाने के लिये हम लोगों ने कार को बदायूं रोड की तरफ बढा दिया । सही स्थान न मिलने के कारण वापस बुखारा रोड पर मिर्जापुर गाँव के पास कच्चे रास्ते पर बहने वाले नाले में लेखपाल के शव को डाल दिया। शव को डालने से पहले हमने उसकी तलाशी ली जिससे उसकी जेब से पर्स व कुछ अन्य सामान मिला। शव को नाले मे डालने के बाद हम लोग अपने-अपने घर चले गये। कुछ दिन हम लोगों ने पुलिस की छानबीन पर नजर रखी इन्हीं दिनो सूरज ने खम्भे पर चिपके लेखपाल मनीष कश्यप की गुमशुदगी के पोस्टर से उसके परिवार वालो का नं0 ले लिया जिससे हम उसके परिवार वालों से फिरौती माँगने का प्लान बना रहे थे, उससे पहले पुलिस वालो ने हमे पक़ड लिया।”

<u>आपराधिक इतिहासः- अभियुक्त ओमवीर उर्फ अवधेश पुत्र महेशपाल-</u>

1.मु0अ0सं0 49/24 धारा 323/504/506 भादवि थाना फरीदपुर जिला बरेली
2.मु0अ0सं0 374/24 धारा 307/504/506 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फरीदपुर जिला बरेली
3.मु0अ0सं0 913/24 धारा 140(1)/103(1)/238/61(2)/3(5) बीएनएस थाना फरीदपुर जिला बरेली

<u>आपराधिक इतिहास- अभियुक्त नन्हें पुत्र सुखराम</u>

1.मु0अ0सं0 913/24 धारा 140(1)/103(1)/238/61(2)/3(5) बीएनएस थाना फरीदपुर जिला बरेली

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>

1.प्रभारी निरीक्षक श्री राहुल सिंह थाना फरीदपुर जनपद बरेली।
2.प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार चतुर्वेदी फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली।
4.प्रभारी साइबर सैल मय टीम ।
5.प्रभारी सर्विलांस सैल मय टीम।
3.उ0नि0 पुनीत मेहरा थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली।
4.का0 3239 अमरजीत थाना फरीदपुर जनपद बरेली।
5.का0 3256 प्रशान्त मलिक थाना फरीदपुर जनपद बरेली।
6.का0 इरशाद थाना फतहेगंज पश्चिमी जनपद बरेली।